इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.


# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 287] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 जून 2012—आषाढ़ 1, शक 1934


आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जून 2012

**एम.डी. ( आयुर्वेद )/ एम.एस. ( आयुर्वेद ) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा नियम, 2012**

क्र. एफ-1-14-2012-1-उनसठ.—राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य में आयुर्वेद महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर आयुर्वेद (एम.डी. तथा एम.एस.) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ''मध्यप्रदेश आयुर्वेद चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा नियम, 2012'' है.

(2) ये ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे तथा शैक्षणिक वर्ष 2012-13 के लिए प्रवृत्त रहेंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''मण्डल'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल;

(ख) ''महाविद्यालय'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार के अधीन शासकीय/ स्वशासी एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेद महाविद्यालय;

(ग) ''परीक्षा'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा;

(घ) ''सेवारत अभ्यर्थी'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन के ऐसे चिकित्सा अधिकारी, जो मध्यप्रदेश शासन के अधीन नियमित या संविदा के आधार पर सेवा कर रहे हों;

(च) ''अन्य पिछड़ा वर्ग'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तथा अधिकथित अन्य पिछड़े वर्ग;

(छ ''ग्रामीण क्षेत्र'' से अभिप्रेत है, नगर निगम क्षेत्र तथा नगरपालिका परिषद् क्षेत्र से भिन्न कोई क्षेत्र;

(ज) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तथा अधिकथित अनुसूचित जातियां;

(झ) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तथा अधिकथित अनुसूचित जनजातियां;

(ञ) ''चयनित अभ्यर्थी'' से अभिप्रेत है, ऐसे अभ्यर्थी जिनका वर्ष 2012-13 की काउंसिलिंग में सीट आवंटन कर आवंटन-पत्र जारी कर दिया गया है,

(ट) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश की सरकार;

(ठ) ''जनजाति क्षेत्र'' से अभिप्रेत है, जनजाति उपयोजना के अधीन क्षेत्र;

(ड) ''सी.सी.आई.एम.'' से अभिप्रेत है, सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन.

3. **सामान्य.**—(1) स्नातकोत्तर उपाधि एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम, यथास्थिति सी.सी.आई.एम./ विश्वविद्यालय/ राज्य सरकार/ भारत सरकार/ महाविद्यालय की स्वशासी संस्था की यथास्थिति, प्रवेश परीक्षा, आवंटन तथा समय-समय पर यथा संशोधित प्रवृत्त नियमों तथा विनियमों में किये गये संशोधनों द्वारा शासित तथा विनियमित होंगे.

(2) प्रवेश की तारीख से उपाधि की दशा में तीन वर्ष की कालावधि के लिए स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम एवं पत्रोपाधि की दशा में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम दो वर्ष की कालावधि के लिए पूर्णकालिक होंगे. छात्र को सम्पूर्ण अध्ययनकाल में निजी प्रेक्टिस, अंशकालिक नौकरी या कोई अन्य नौकरी करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी.

(3) जब भी अपेक्षित हो सही जानकारी दी जानी तथा प्रस्तुत की जानी चाहिए. आवेदन-फार्म भरने से पूर्व अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि वे नियमों को पूर्ण रूप से पढ़ लें एवं समझ लें और अपेक्षित की गई संपूर्ण तथा सही जानकारी भरें तथा अपेक्षित दस्तावेज संलग्न करें, जिसके अभाव में प्रार्थी को प्रवेश परीक्षा, आवंटन तथा प्रवेश की पात्रता नहीं होगी.

(4) यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के स्थान (सीट) आवंटन के समय दस्तावेजों की छानबीन के समय तथा उसके प्रवेश के समय आवेदन प्रारूप में कोई सुसंगत तथ्य छिपाये गये हैं और / या गलत जानकारी दी गई है तो उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय उसका प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा रद्द कर दिया जावेगा.

(5) सेवारत अभ्यर्थी, जो मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत विभाग द्वारा अनुशंसित किये गये हों. परीक्षा तथा काउंसिलिंग में उपस्थित होने के लिये कर्त्तव्य पर माने जाएंगे तथा पैतृक विभाग से नियमानुसार यात्रा भत्ते तथा महंगाई भत्ते का दावा करने के हकदार होंगे.

(6) प्रत्येक अभ्यर्थी को मण्डल (व्यापम) के प्रवेश नियमों का पालन करना होगा एवं उसे विहित की गई परीक्षा फीस जमा करनी होगी.

4. (1) **छात्र निम्नलिखित के लिये हकदार होंगे ( इसमें सेवारत उम्मीदवार भी सम्मिलित है ) :—**

(क) एक साप्ताहिक अवकाश (असंचयी),

(ख) प्रति शैक्षणिक सत्र में 19 दिवस के आकस्मिक अवकाश,

(ग) प्राचार्य की पूर्व अनुमति से, संपूर्ण अध्ययन अवधि के दौरान छात्रवृत्ति के बिना 90 दिवस के प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी. चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अवकाश पर जाने के दस दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा.

(2) छात्रवृत्ति के बिना प्रतिवर्ष 15 दिवस का चिकित्सा अवकाश / बीमारी का प्रमाण-पत्र अवकाश पर जाने के पश्चात् 10 दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा.

5. दुराचरण, अनुशासनहीनता तथा अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्र, अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिये उत्तरदायी होंगे, जिसमें प्राचार्य के द्वारा महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना सम्मिलित है.

6. परीक्षा, मण्डल द्वारा नियत किये गए केन्द्र पर होगी. एक बार आवंटित हो जाने पर केन्द्र परिवर्तित नहीं किया जाएगा. अभ्यर्थी, मण्डल के नियमों तथा विनियमों का पालन करेगा, जिसका पालन न करने पर उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जावेगी.

7. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (सी.सी.आई.एम.) नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त सीटों का विषयवार, पाठ्यक्रमवार एवं महाविद्यालयवार समस्त स्नातकोत्तर उपाधि एवं पत्रोपाधि स्थानों (सीटों) का बंटवारा संलग्न तालिका में दर्शित है.

8. **आरक्षण.**—मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये 20 प्रतिशत स्थान, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये 16 प्रतिशत स्थान एवं मध्यप्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों के उन विद्यार्थियों के लिये जो क्रीमिलेयर से भिन्न है 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे या समय-समय पर यथासंशोधित अनुसार आरक्षित रहेंगे—

(1) महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण प्रत्येक प्रवर्ग में योग्यता (मेरिट)-सह-विकल्प के अनुसार 30 प्रतिशत होगा.

(2) ऐसे अभ्यर्थी को जो मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी आवेदन के साथ मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी तथा मूल स्थायी जाति प्रमाण-पत्र परामर्श (काउंसिलिंग) के समय प्रस्तुत करना होगा.

(3) ऐसे विकलांग व्यक्ति जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं और जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित प्रवर्ग के हैं, के लिये छह प्रतिशत स्थान (स्नातकोत्तर) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आरक्षित हैं, जिन्हें सारणी क्रमांक 1 से 4 तक में स्टार (*) के माध्यम से दर्शाया गया है. पहले 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के बीच निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थियों से यह स्थान भरे जावेंगे.

उपरोक्त आरक्षण के अनुसार अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उक्त स्थान (सीटें) संबंधित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से यह स्थान भरे जावेंगे.

''इन स्थानों (सीट) पर प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को विहित प्रपत्र में जिला मेडिकल बोर्ड से वैध प्रमाण-पत्र और अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांग व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर से पात्रता प्रमाण-पत्र, दोनों ही अनिवार्यत:, प्रस्तुत करना होगा. विषयवार सीटों का बंटवारा संलग्न तालिका पर दर्शित है. काउंसिलिंग के समय दोनों प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी. विकलांगता के संबंध में बनाए गए दिशा-निर्देश के अनुसार निम्नलिखित विकलांगों को विकलांग श्रेणी में पात्रता नहीं होगी.''—

(1) हाथ / हाथों से विकलांग

(2) दृष्टि से विकलांग

(3) बहरापन

(4) 70 प्रतिशत से अधिक पैरों की विकलांगता.

9. **फीस संरचना.**—प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा.

10. **फीस वापसी.**—पी. जी. पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों द्वारा स्टेट कोटे की अंतिम काउंसिलिंग के सात दिवस पूर्व सीट छोड़ने संबंधी सूचना लिखित में संस्था में प्रस्तुत करने पर ऐसे छात्रों द्वारा जमा फीस से 10 प्रतिशत काटकर शेष राशि लौटाई जावेगी. उक्त समय-सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा जमा राशि वापिसी योग्य नहीं होगी. यह प्रक्रिया राज्य एवं राज्य के बाहर प्रवेश लेने वाले छात्रों पर समान रूप से लागू होगी.

11. **प्रतिभूति निक्षेप.**—(1) परामर्श (काउंसिलिंग) के दौरान स्थान आवंटित होने पर अभ्यर्थी को रुपये 10,000/- प्रतिभूति निक्षेप के रूप में आयुक्त, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी मध्यप्रदेश भोपाल को देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा:

परन्तु अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता-पिता / संरक्षक की आय समस्त स्त्रोतों को मिलाकर रुपये 3.00 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है, कोई प्रतिभूति निक्षेप नहीं करेंगे. बशर्ते कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के ऐसे अन्य अभ्यर्थी जिनके माता-पिता / संरक्षक की आय समस्त स्त्रोतों को मिलाकर रुपये 3.00 लाख प्रतिवर्ष से अधिक है, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थी केवल रुपये 2,000/- प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करेंगे.

(2) पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् प्रतिभूति निक्षेप की राशि बिना ब्याज के वापसी योग्य होगी. उस दशा में जब कोई अभ्यर्थी आवंटित पाठ्यक्रम, विषय एवं संस्था में प्रवेश नहीं लेता है या किसी भी कारण से पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व पाठ्यक्रम में अध्ययन बंद कर दें, और महाविद्यालय छोड़ दे तो प्रतिभूति निक्षेप पर उसका दावा समपहृत हो जाएगा.

12. **पात्रता.**—1. अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए. निम्नलिखित में से किसी भी एक परिस्थिति में भी मध्यप्रदेश के मूल निवासी की श्रेणी में शामिल होना माना जावेगा :—

1.1 अभ्यर्थी द्वारा बी.ए.एम.एस. की समस्त परीक्षाएं मध्यप्रदेश के आयुर्वेद महाविद्यालयों से उत्तीर्ण होना चाहिए.

1.2 अभ्यर्थी जो मूलरूप से मध्यप्रदेश के निवासी हैं परन्तु उन्होंने बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम मध्यप्रदेश के बाहर से जो कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त हो, से उत्तीर्ण की हो.

2. सभी पी.जी. प्रवेशित छात्रों को मध्यप्रदेश राज्य में प्रेक्टिस करने के लिये मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, भोपाल से पंजीकृत होना चाहिए.

2.1 पी.जी. सीट आवंटन होने के पश्चात् आवंटित सीट पर प्रवेश लेने के एक माह के भीतर मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, भोपाल में पंजीकृत चिकित्सक होने हेतु आवेदन तथा संबंधित फीस जमा करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा.

2.2 पात्र अभ्यर्थी ने सी.सी.आई.एम. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में विज्ञापन में अंकित आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य इंटर्नशिप पूर्ण कर ली हो.

13. **परीक्षा.**—(1) स्नातकोत्तर प्रवेश हेतु, मण्डल द्वारा एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की जावेगी.

(2) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा जारी नियमावली अनुसार किसी भी अभ्यर्थी का चयन 100 अंकों की मेरिट इंडेक्स जिसकी संगणना, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, संबंधित विषय में प्राप्त अंक एवं अंतिम वर्ष बी.ए.एम.एस. डिग्री पाठ्यक्रम में प्राप्त अंकों के आधार पर निम्नानुसार की जायेगी :—

लिखित परीक्षा के 80 अंक एवं संबंधित विषय में प्राप्तांक (प्राप्तांकों की संगणना कुल 10 अंक में से होगी) तथा स्नातक पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष व्यावसायिक परीक्षा में प्राप्तांकों की संगणना कुल 10 अंक में से होगी. कुल जोड़ प्रवेश हेतु ''अंतिम प्राप्तांक'' (टोटल इंडेक्स) होगा.

(3) एम.डी. (आयुर्वेद) / एम.एस. (आयुर्वेद) की प्रवेश परीक्षाएं अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम से आयोजित की जाएंगी.

(4) एक प्रश्नपत्र एक घंटे 30 मिनट का होगा. प्रश्नपत्र में कुल 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे.

(5) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के लिये एक अंक प्रत्येक सही उत्तर के लिये दिया जावेगा. गलत उत्तर या एक से अधिक उत्तर या अनुत्तरित प्रश्न के लिये कोई अंक नहीं दिया जायेगा.

(6) परीक्षा बी.ए.एम.एस. परीक्षा के स्तर की होगी तथा बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम के सभी विषयों को सम्मिलित किया जाएगा.

(7) प्रवेश की योग्यता हेतु अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये न्यूनतम 50 प्रतिशत ''कुल अंतिम प्राप्तांक'' एवं आरक्षित श्रेणी के लिये 40 प्रतिशत न्यूनतम ''कुल अंतिम प्राप्तांक'' प्राप्त करना अनिवार्य है. प्रवेशित विषय का परिवर्तन प्रवेश तिथि से दो माह तक इस शर्त पर स्वीकार्य होगा कि वांछित विषय में सीट एवं निर्देशक की उपलब्धता हो.

14. **परीक्षाफल की घोषणा.**—मण्डल, परीक्षा संचालित करेगा, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करेगा, योग्यता सूची तैयार करेगा तथा परीक्षाफल घोषित करेगा. विषय / पाठ्यक्रम / महाविद्यालय में पात्र अभ्यर्थी को स्थान का आवंटन परामर्श (काउंसिलिंग) द्वारा योग्यता-सह-विकल्प के आधार पर किया जाएगा. परामर्श (काउंसिलिंग) पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल में संचालनालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित की जावेगी.

15. **योग्यता सूची.**—(1) अनारक्षित श्रेणी की एक योग्यता (मेरिट) सूची घोषित की जावेगी, जिसमें सभी सफल अभ्यर्थी शामिल किये जावेंगे, जिन्होंने कुल अंतिम प्राप्तांक (टोटल इंडेक्स) में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं.

(2) आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग) के उन सभी अभ्यर्थियों की पृथक-पृथक मेरिट सूची जारी की जावेगी, जिन्होंने अंतिम प्राप्तांक (टोटल इंडेक्स) में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं.

(3) सभी अभ्यर्थियों की श्रेणीवार सूचियों में विकलांग अभ्यर्थी अपनी मेरिट के अनुसार सम्मिलित किए जाएंगे.

(4) विकलांग अभ्यर्थियों की श्रेणीवार मेरिट सूचियां भी तैयार की जाएंगी.

(5) सूचियों में कोई प्रतीक्षा सूची नहीं होगी.

16. 1 **पारस्परिक योग्यता ( मेरिट ).**—उस दशा में जब दो या अधिक अभ्यर्थी ''अंतिम प्राप्तांक'' (टोटल इंडेक्स) में बराबर अंक प्राप्त करते हैं, तो योग्यता नीचे दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार विनिश्चित की जाएगी :—

(क) अभ्यर्थी, जिसने लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, योग्यता सूची में ऊपर रखा जाएगा.

(ख) लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा बराबर अंक प्राप्त करने पर भी आयु में बड़े अभ्यर्थी को पारस्परिक योग्यता (मेरिट) में उच्च स्थान पर रखा जाएगा.

17. **परामर्श ( काउंसिलिंग ).**—(1) अभ्यर्थियों को स्थान का आवंटन परामर्श (काउंसिलिंग) के माध्यम से, स्वयं उपस्थित होने पर किया जाएगा. परामर्श (काउंसिलिंग) समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :—

(एक) आयुक्त, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी मध्यप्रदेश भोपाल या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि.

(दो) संचालक, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल या उसका प्रतिनिधि.

(तीन) मध्यप्रदेश के स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालयों के समस्त प्रधानाचार्य.

(चार) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट आरक्षित प्रवर्ग का प्रतिनिधि जो रीडर की पंक्ति से निम्न पंक्ति का न हो.

(पांच) अध्यक्ष, आवंटन समिति एवं अध्यक्ष, छानबीन समिति.

(2) काउंसिलिंग का कार्यक्रम राज्य के एक हिन्दी व एक अंग्रेजी कुल दो प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जाएगा एवं संचालनालय की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा. अभ्यर्थियों को पृथक से कॉल लेटर नहीं भेजे जाएंगे.

(3) किसी भी अभ्यर्थी को केवल आपात परिस्थितियों अर्थात् चिकित्सालय में भर्ती होने दुर्घटनाग्रस्त होने अथवा विपदा की स्थिति में ही अनुपस्थित रहने पर प्रतिनिधि को काउंसिलिंग में भाग लेने हेतु प्राधिकृत करने की अनुमति होगी. ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के प्रतिनिधि को शासकीय चिकित्सालय से उक्त संबंध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को निर्धारित प्रपत्र पर वचन-पत्र एवं प्राधिकृत पत्र प्रस्तुत करना होगा. प्राधिकृत पत्र पर उम्मीदवार तथा उसके प्रतिनिधि के फोटो अवश्य चस्पा होने चाहिए तथा फोटो पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर भी होना अनिवार्य है. निजी चिकित्सालयों द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं किये जायेंगे. इस संबंध में अभ्यर्थी को एक शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा. अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिया गया विकल्प अभ्यर्थी को बाध्यकारी होगा.

(4) अभ्यर्थी या उनके प्रतिनिधि परामर्श (काउंसिलिंग) के लिये अपने स्वयं के व्यय पर यात्रा करेंगे.

(5) अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधि को परामर्श (काउंसिलिंग) के लिये विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पी.जी.-2012 की परीक्षा अंक सूची दिखाये बिना प्रवेश करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

(6) अभ्यर्थी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को मूल दस्तावेज तथा इन दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियां के दो सेट के बिना परामर्श (काउंसिलिंग) में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी. यदि उम्मीदवार पूर्व से प्रवेशित / अध्ययनरत् है तो अभ्यर्थी को अपने मूल दस्तावेज उस संस्था में जमा होने का प्रमाण-पत्र संस्था प्रमुख द्वारा जारी किया हुआ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर काउंसिलिंग में भाग लेने की पात्रता होगी.

(7) अभ्यर्थी या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि योग्यता (मेरिट) के क्रम में अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे. उन्हें 10-20 के छोटे-छोटे समूहों में मूल दस्तावेजों की जांच तथा सत्यापन के लिये बुलाया जाएगा तथा पात्र पाये जाने पर उन्हें आगे परामर्श (काउंसिलिंग) में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, जहां अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध किसी एक स्थान के आवंटन के चयन हेतु विकल्प देना होगा जो अंतिम होगा एवं यही स्थान उसे आवंटित किया जाएगा एवं आवंटन पत्र प्रधानाचार्य, पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल / अध्यक्ष, प्रवेश समिति के नाम से देय बैंक ड्राफ्ट नियम 11(1) के अनुसार प्रस्तुत करने पर जारी किया जाएगा.

(8) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के जो फोटो, मण्डल द्वारा आयोजित प्री-पी.जी. परीक्षा 2012-13 के आवेदन पर चस्पा किये गये है, उन्हीं फोटो की तीन प्रतियां काउंसिलिंग में साथ लाना अनिवार्य है. यदि फोटो प्री-पी.जी. परीक्षा एवं काउंसिलिंग में लाये गये फोटो से भिन्न पाये जाते है तो काउंसिलिंग में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी. साथ ही फोटो दो माह से अधिक पुराने न हो तथा फोटो पर फोटो खिचवाने की तिथि एवं पूरा नाम अंकित किया जाना अनिवार्य है. फोटो भिन्न पाये जाने पर उम्मीदवार को अपात्र घोषित किया जावेगा. इसकी पूर्ण जिम्मेदारी उम्मीदवार की होगी.

फोटो के संबंध में विसंगति होने पर काउंसिलिंग समिति अभ्यर्थी से शपथ-पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दे सकेगी. तदानुसार अभ्यर्थी को शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा. अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर काउंसिलिंग समिति द्वारा अभ्यर्थी को काउंसिलिंग में भाग लेने की अनुमति देने पर विचार कर निर्णय ले सकेगी.

(9) यदि अभ्यर्थी अथवा उसका प्रतिनिधि किसी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण से अभिलेखों की जांच तथा परामर्श (काउंसिलिंग) के लिये निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसा अभ्यर्थी यदि इसके पश्चात् उपस्थित होता है तो उसे बिना मेरिट का ध्यान रखते हुए, जिस स्टेज पर परामर्श (काउंसिलिंग) चल रही है उसी स्टेज पर परामर्श (काउंसिलिंग) में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी. उस पर तब ही विचार किया जाएगा यदि उसके प्रवर्ग की परामर्श (काउंसिलिंग) जारी हो एवं पूर्व में जो आवंटन मेरिट के आधार पर अन्य अभ्यर्थियों को किये जा चुके हैं वे अपरिवर्तनीय होंगे. यह नियम सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये लागू होगा. यदि किसी कारणवश उम्मीदवार सम्पूर्ण काउंसिलिंग के दौरान अनुपस्थित रहता है तो अगली काउंसिलिंग में मेरिट अनुसार भाग लेने की पात्रता रहेगी.

(10) अभ्यर्थियों के लिये निम्न क्रमानुसार काउंसिलिंग आयोजित की जाएगी :—

(क) अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग

(ख) अनुसूचित जाति प्रवर्ग

(ग) अन्य पिछड़ा प्रवर्ग

(घ) अनारक्षित प्रवर्ग

संबंधित श्रेणी में विकलांग अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में खाली स्थान (सीट) उसी श्रेणी के ओपन अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे.

यदि आरक्षण में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो रिक्त स्थान अन्य प्रवर्गों को निम्नानुसार उपलब्ध करा कर भरे जाएंगे :—

(क) अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के रिक्त स्थान पात्र अनुसूचित जाति प्रवर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे.

(ख) अनुसूचित जाति प्रवर्ग के रिक्त स्थान पात्र अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे.

(ग) आरक्षण के विस्तार तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवर्गों के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में रिक्त स्थानों को अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग के पात्र अभ्यर्थियों से भरा जाएगा.

(घ) उपरोक्त रीति में इन तीनों आरक्षित प्रवर्गों में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में, रिक्त स्थानों को अनारक्षित प्रवर्ग के पात्र अभ्यर्थियों से भरा जाएगा.

(11) (क) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी से विहित प्रोफार्मा में स्थाई जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, वैध स्थाई जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण की पात्रता नहीं होगी, इसका उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा. अस्थायी जाति प्रमाण-पत्र तथा कालातीत जाति प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे. उम्मीदवार को निर्धारित प्रोफार्मा में एक शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा.

(ख) आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को परामर्श (काउंसिलिंग) के समय वर्तमान सत्र का आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-11/1/3/2010, दिनांक 7 सितम्बर, 2010 के द्वारा संबंधित तहसीलदार / नायब तहसीलदार को उनके प्रभार क्षेत्र के अंतर्गत आय प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है. अत: आय प्रमाण-पत्र हेतु संलग्न प्रपत्र पर ही जारी आय प्रमाण-पत्र मान्य किया जाएगा. आय प्रमाण-पत्र का आवेदन एवं प्रारूप संलग्न है.

(12) अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग का कोई अभ्यर्थी जिसका नाम अपने आरक्षित प्रवर्ग की योग्यता (मेरिट) सूची में सम्मिलित होने के अतिरिक्त अनारक्षित प्रवर्ग की योग्यता (मेरिट) सूची में भी सम्मिलित है, तो अभ्यर्थियों को परामर्श (काउंसिलिंग) के दौरान यह विकल्प होगा कि वो सीट आरक्षित श्रेणी से चयन करेगा अथवा अनारक्षित श्रेणी से. अभ्यर्थी द्वारा प्रथम बार दिया गया विकल्प अपरिवर्तनीय होगा.

(13) यदि कोई अभ्यर्थी उसकी मेरिट के आधार पर अपनी काउंसिलिंग के समय उपलब्ध विषयों / पाठ्यक्रमों में से किसी में भी प्रवेश लेना नहीं चाहता है तो वह लिखित में 'आप्ट फार वेटिंग' का विकल्प दे सकता है, उसका नाम मेरिट क्रम में अंकित कर दिया जाएगा, यदि किसी आयुर्वेद महाविद्यालय में किसी विषय में कोई सीट प्रवेश की अंतिम तिथि तक या उसके पूर्व रिक्त हो जाती है तब ऐसे अभ्यर्थी के नाम पर मेरिट अनुसार किसी भी कारण से रिक्त रह गई सीटों के आवंटन के समय विचार किया जा सकेगा.

(14) किसी भी अभ्यर्थी को एक बार सीट व कालेज आवंटित किये जाने के पश्चात् पुनरावंटन की पात्रता उसके मेरिट के अनुसार निम्नानुसार होगी :—

(क) अभ्यर्थी को प्रथम आवंटन के अनुसार निर्धारित तिथि तक संबंधित कालेज में शुल्क जमा करके संबंधित आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय में अंतिम तिथि तक प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करना होगी.

(ख) आवंटन पत्र में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि के 10 दिवस तक अभ्यर्थी को पुनरावंटन हेतु अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र (प्रारूप-8) संबंधित आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा अग्रेषित करवाकर संचालनालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी मध्यप्रदेश भोपाल में जमा करना होगा.

(ग) 10 दिवस पश्चात् संचालनालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी मध्यप्रदेश भोपाल में प्राप्त आवेदनों पर पुनरावंटन की पात्रता नहीं रहेगी.

(घ) आवेदन-पत्र समय-सीमा में जमा करने की पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी.

18. **प्रवेश.**—किसी अभ्यर्थी का किसी विषय, पाठ्यक्रम या किसी महाविद्यालय में काउंसिलिंग द्वारा आवंटन हो जाने के फलस्वरूप वह महाविद्यालय के प्राचार्य को अधिसूचित तारीख तथा समय पर रिपोर्ट करेगा.

(1) प्राचार्य, दो प्रोफेसर तथा आरक्षित प्रवर्ग के कम से कम दो चिकित्सा शिक्षकों से मिलकर बनने वाली प्रवेश समिति भी मूल दस्तावेजों का सत्यापन करेगी तथा यदि पात्र पाये जाएं, तो अभ्यर्थी को आवंटित विषय, पाठ्यक्रम तथा महाविद्यालय में प्रवेश देगी.

(2) एक बार राज्य कोटे के अंतर्गत प्रवेश हो जाने पर समस्त मूल प्रमाण-पत्र महाविद्यालय द्वारा रखे जाएंगे तथा इस आशय का एक प्रमाण-पत्र महाविद्यालय प्रशासन द्वारा अभ्यर्थी को जारी किया जाएगा.

(3) मूल दस्तावेज अध्ययन अवधि पूर्ण करने अथवा पाठ्यक्रम की सीट तथा महाविद्यालय से किसी भी कारण से त्यागपत्र देने अथवा छोड़ने पर ही लौटाये जाएंगे.

(4) उम्मीदवार को एक बार किसी वरिष्ठ विषय, पाठ्यक्रम / श्रेणी एवं महाविद्यालय में प्रवेश दिये जाने के बाद किसी भी आधार पर उसमें कोई परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी.

(5) जो अभ्यर्थी अंतिम तिथि तक प्रवेश प्राप्त नहीं करता है, प्रवेश लेने के बाद स्थान छोड़ देता है / प्रवेश प्राप्त कर संस्था प्रमुख की बिना अनुमति के निरंतर पन्द्रह दिवस की कालावधि के लिये अनुपस्थित रहता है तो उसका दावा समपहृत हो जाएगा तथा उसे दिया गया आवंटन / प्रवेश रद्द कर दिया गया समझा जाएगा.

(6) शैक्षणिक सत्र दिनांक 1-11-2012 से प्रारंभ होगा. किसी भी कारण से उपलब्ध रिक्त स्थान पर किसी विद्यार्थी को प्रवेश देने की अंतिम तिथि 31-10-2012 अथवा सी.सी.आई.एम. द्वारा निर्धारित तिथि होगी.

19. **प्रवेश प्रक्रिया के लिये प्रस्तावित समय सूची :—**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | काउंसिलिंग समाप्त हो जाएगी | — | 31-10-2012 |
| 2. | आवंटित महाविद्यालय तथा पाठ्यक्रम में प्रवेश की अंतिम तारीख | — | 31-10-2012 |
| 3. | शिक्षण सत्र का आरंभ | — | 01-11-2012 |
| 4. | किसी भी कारण से हुई रिक्तियों पर किसी छात्र को प्रवेश दिये जाने की अंतिम तारीख | — | 31-10-2012 |

20. **नियमों का स्पष्टीकरण.**—किसी नियम तथा प्रवेश के लिये किसी प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार राज्य सरकार अपने पास आरक्षित रखती है. इन नियमों के निर्वचन तथा उनके संशोधनों से संबंधित किसी विवाद की दशा में, राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा तथा सभी संबंधितों पर आबद्धकर होगा.

21. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**—इन नियमों के प्रचलित होने के पूर्व तत्स्थानी समस्त नियम एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित किए गए नियमों के अधीन किए गए किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**शशिकला खत्री,** उपसचिव.

## प्रोफार्मा—1

### प्री-पी.जी. परीक्षा के माध्यम से प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाने वाला शपथ-पत्र का प्रोफार्मा

मैं, डॉ. . . . . आत्मज / आत्मजा . . . . . .

आयु . . . . . निवासी . . . . . .

सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि—

1. वर्तमान में मैं मध्यप्रदेश राज्य में पिछले तीन वर्षों में यथा 2009, 2010, 2011 में मध्यप्रदेश प्री-पी.जी. काउंसिलिंग या आल इंडिया काउंसिलिंग द्वारा चयन के पश्चात् अध्ययनरत् नहीं हूं.

2. पिछले तीन वर्षों के दौरान (2009, 2010, 2011) में मुझे मध्यप्रदेश राज्य में अथवा अन्य राज्य में भी विषय में कोई स्नातकोत्तर डिग्री / स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश नहीं लिया गया है.

3. गत दो वर्षों के दौरान (यथा 2010, 2011) में मैंने कोई भी स्नातकोत्तर डिप्लोमा या गत तीन वर्षों के दौरान (2009, 2010, 2011) में कोई स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त नहीं की है.

दिनांक . . . . . .

हस्ताक्षर . . . . . .

नाम .....

पदनाम .....

पता .....

### सत्यापन

मैं, डॉ. ..... आत्मज/आत्मजा .....

आयु . . . . . निवासी ..... सत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि अनुक्रमांक 1 से 3 तक में दिये गये तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी तथा विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य हैं.

दिनांक . . . . . .

सत्यापनकर्ता व्यक्ति

हस्ताक्षर . . . . . .

नाम .....

पदनाम .....

पता .....

## प्रोफार्मा—2

### प्रमाण-पत्र, अभिलेखों की स्क्रूटनी, काउंसिलिंग, आवंटन संबंधी प्रोफार्मा ( अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए )

मैं/ अधिकृत प्रतिनिधि घोषणा करता हूँ कि मैंने प्री.पी.जी. प्रवेश परीक्षा नियम, 2012 को भली-भांति पढ़ लिया है तथा समझ लिया है. मुझे मध्यप्रदेश के आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय में संचालित मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की जानकारी है. तत्पश्चात् ही नियमों में दिये गये उपबंधों के अधीन काउंसिलिंग में भाग ले रहा/ रही हूँ.

मैं काउंसिलिंग में भाग लेने के लिये आज मूल प्रमाण-पत्र/अभिलेख प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ. अथवा मैं अन्य आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशित/अध्ययनरत हूँ. तथा मेरे मूल दस्तावेज उक्त चिकित्सा महाविद्यालय में जमा है. इसका प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर रहा/ रही हूँ. यदि वांछित जानकारी नियमानुकूल नहीं है, या असत्य है या अधूरी है या विनिर्देशानुसार नहीं है तो ऐसा होने पर, यद्यपि मुझे किन्हीं कारणों से आवंटन या प्रवेश प्राप्त हो भी जाता है तो मेरा आवंटन या प्रवेश कभी भी बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिया जाए—

1. प्री.पी.जी. 2012 का रोल नं. . . . . .
2. मेरिट सूची क्रमांक . . . . . .
3. पूरा नाम . . . . . .
4. माता/पिता/पति/अभिभावक का पूरा नाम एवं पता . . . . . .
5. श्रेणी (अनारक्षित/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग) . . . . . .
6. मूल प्रमाण-पत्र/ अभिलेख जो प्रस्तुत कर रहे हैं उनके सामने सही ( ) का चिन्ह लगायें—

क. प्री.पी.जी. की अंकसूची
ख. सभी बी.ए.एम.एस. परीक्षाओं की अंकसूची
ग. इन्टर्नशिप पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र.
घ. रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र.
ङ. स्नातकोत्तर अध्ययन से संबंधित शपथ-पत्र.
च. भारत का नागरिक होने संबंधी प्रमाण-पत्र (जैसे पासपोर्ट, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रमाण-पत्र).
छ. मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने संबंधी प्रमाण-पत्र.
ज. मध्यप्रदेश में सक्षम अधिकारी द्वारा आरक्षित श्रेणी प्रमाण-पत्र.
झ. मध्यप्रदेश के आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय में नान-क्लिनिकल/पैराक्लिनिकल/सहायक प्राध्यापक का कार्य करने से संबंधित प्रमाण-पत्र.
ञ. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित चालू वर्ष का आय प्रमाण-पत्र.

अभ्यर्थी/अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर के साथ पूरा नाम तथा पता

. . . . . .

स्क्रूटनी (छानबीन समिति द्वारा भरा जावे)

. . . . . .

प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों, की जांच की गई तथा अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों के दो सेट रिकार्ड हेतु ज़मा कर लिये गये हैं.

सम्यक् सत्यापन के पश्चात्, अभ्यर्थी परामर्श (काउंसलिंग) में भाग लेने के लिये पात्र है या निम्न अभिलेख/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कराने के कारण/या अन्य कारणों से काउंसलिंग में भाग लेने के लिये पात्र नहीं है.

प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर, दिनांक, नाम एवं पद

## प्रोफार्मा—3

### अभ्यर्थी/अधिकृत प्रतिनिधि की, काउंसिलिंग के माध्यम से विषय/पाठ्यक्रम/संस्था के आवंटन हेतु सहमति

मैं/ मेरा अधिकृत प्रतिनिधि आज दिनांक . . . . . को काउंसलिंग में भाग लेकर अपना क्रम आने पर उपलब्ध पाठ्क्रम में प्रवेश लेने के लिये स्वेच्छापूर्वक सहमत या असहमत हूं या 'आप्ट फार वेटिंग' की सूची में अपना नाम रखने के लिये सहमत या असहमत हूं.

तद्नुसार मुझे संस्था ..... पाठ्यक्रम ..... विषय ..... आवंटित करने का कष्ट करें.

नाम सदस्य .....

अभ्यर्थी/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

रोल नं. . . . . .

दिनांक . . . . . .

मेरिट नं. . . . . .

पूरा नाम एवं पता .....

### काउंसिलिंग द्वारा आवंटन

डॉ. ..... प्री.पी.जी. रोल नं. . . . . मेरिट नं. . . . . श्रेणी .....

अभ्यर्थी द्वारा स्वेच्छापूर्वक चयन के आधार पर उन्हें पाठ्यक्रम ..... विषय ..... तथा संस्था ..... आवंटित की जाती है.

या

अभ्यर्थी द्वारा पाठ्यक्रम ..... विषय ..... तथा संस्था ..... चयन न करने के कारण आवंटन नहीं दिया गया.

दिनांक . . . . . .

आवंटन अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक . . . . . .

नाम तथा पदनाम .....

### शपथ-पत्र

मैं/आत्मज/आत्मजा श्री ..... आयु. . . . . निवासी .....

आज दिनांक . . . . . को शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा काउंसलिंग में लिये गये निर्णय से मैं बचनबद्ध रहूंगा/रहूंगी.

मैं आवंटित संस्था में प्रवेश लेने के पश्चात् प्री.पी.जी. नियम पुस्तिका में दिये गये नियमों का पालन करूंगा/करूंगी.

1. गवाह के हस्ताक्षर

   दिनांक . . . . . .

   नाम .....

   पूरा पता .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक . . . . . .

पूरा नाम .....

पद .....

2. गवाह के हस्ताक्षर

   दिनांक . . . . . .

   नाम .....

   पूरा पता .....

## प्रोफार्मा—4

### वचनबंध

मैं, ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी .....

आयु . . . . . वर्ष . . . . माह . . . . . रोल नं. . . . . स्थान एवं रैंक क्रमांक . . . . . मध्यप्रदेश प्री.पी.जी. परीक्षा 2012 द्वारा एम.डी./एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु यह शपथपूर्वक कथन करता/करती हूं कि मेरे द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... आयु . . . . . वर्ष . . . . के द्वारा चयन/रद्दकरण के संबंध में दिनांक . . . . . को लिया गया निर्णय मेरे लिये बाध्यकारी होगा एवं मेरे प्रतिनिधि द्वारा लिये गये निर्णय के अलावा मेरा कोई भी अधिकार/स्वत्व नहीं बनेगा.

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम .....

रोल नं. . . . . .

पता .....

## प्रोफार्मा—5

### प्राधिकार-पत्र

मैं, ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी .....

.....

रोन नं. . . . . मध्यप्रदेश प्री.पी.जी. 2012 के एम.डी. (आयु) पी.जी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु श्री .....

..... को अधिकृत करता/करती हूं. प्राधिकृत अभ्यर्थी दिनांक . . . . . को चयन/रद्दकरण/एम.डी. (आयु) पी. जी. पाठ्यक्रम, 2012 के एक स्थान (सीट) का समिति के समक्ष चयन/रद्दकरण हेतु मेरा प्रतिनिधित्व करेंगे/करेंगी. प्राधिकृत अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं फोटो अभिप्रमाणित किये गये हैं.

अभ्यर्थी का फोटो राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम ..... द्वारा

रोन नं. . . . . .

रैंक . . . . . .

पता .....

.....

प्राधिकृत प्रतिनिधि का फोटो तथा हस्ताक्षर जो अभ्यर्थी द्वारा प्रमाणित हो.

प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी द्वारा अभिप्रमाणित

**नोट.**—हस्ताक्षर एवं सील, फोटो एवं कागज दोनों पर आना चाहिये.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.